उत्तर प्रदेश में बिक्री कर अधिकारी

7170. **श्री शिव कुमार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में बिक्री कर विभाग पिछले 20 वर्षों से काम कर रहा है परन्तु बिक्री कर अधिकारियों के बारे में अभी तक सेवा नियम नहीं बनाये गए हैं ।

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे नियम न होने के कारण अधिकारियों को स्थायी बनाने के मामले में अनियमितताएं की जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो सेवा नियमों के अब तक न बनाए जाने के कारण क्या हैं;

(घ) स्थानापन्न बिक्री कर अधिकारियों तथा लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये अधिकारियों जिनको गत तीन वर्षों में स्थायी बनाया गया था अलग-अलग संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गए बिक्री कर अधिकारियों को इस प्रयोजनार्थ निर्धारित अनुपात के अनुसार स्थायी नहीं बनाया गया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सेवा नियम बनाने के प्रश्न पर राज्य लोक सेवा आयोग विचार कर रहा है । जहां तक इन नियमों को अन्तिम रूप नहीं दिया जाता है तब तक, लोक सेवा आयोग की स्वीकृति से अफसरों को मुस्तकिल कर दिया गया है और ऐसा यथार्थतः राज्य सरकार द्वारा आयोग के साथ परामर्श करके निर्धारित किये गए सिद्धान्तों के अनुसार ही किया गया है, और इस मामले में कोई अनियमितता नहीं की गई है ।

(घ) पिछले तीन वर्षों में चार स्थानापन्न बिक्री-कर अधिकारी और लोक सेवा आयोग द्वारा सीधे चुने गये छः बिक्री-कर अधिकारी स्थायी किये गए हैं ।

(ङ) स्थायी खाली पदों में से दो तिहाई लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये अधिकारियों से भरी जानी हैं । लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गए बिक्री-कर अधिकारियों में से कुछ इन्हीं खाली जगहों पर स्थायी किये गये हैं, जब कि उपलब्ध खाली जगहों पर दूसरे अफसरों को स्थायी करने के प्रश्न पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

Out of Turn Allotment of Quarters

7171. SHRI RAM CHARAN : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) the total number of out of 481, Quarters allotted out of turn on the recommendations of Members of Parliament ;

(b) whether Government propose to discontinue this practice of allotting Out of Turn quarters on the recommendations of Members of Parliament ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) 135.

(b) and (c). The recommendations from the Members of Parliament for allotment of out-of-turn accommodation are not required at all. There is a provision in the Allotment Rules for allotment of accommodation on out-of-turn basis. Government have already issued instructions that Government officers should sponsor their applications through their respective heads of Departments and in the prescribed manner.

Percentage of Scheduled Castes/Tribes Employees in Class III Establishment

7172. SHRI RAM CHARAN : Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the percentage of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes employees in cadre and ex-cadre posts of Class III staff in the Directorate of Social Welfare and Rehabilitation is still below the requisite quota ; and

(b) if so, the reasons thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRIMATI PHULRENU GUHA) : (a) and (b). The orders reserving 12.5% and 5% of fresh vacancies for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively were issued in 1951. The Directorate of Social Welfare and Rehabilitation, which has at present 173 Class III posts, was created much earlier than the issue of orders in 1951.

81 posts had been filled before 1951 and displaced persons from West Pakistan were recruited after partition through Transfer Bureau and Employment Exchanges. The recruitment to the remaining 92 posts came to be made after 1951 ; 11 vacancies (12%) were filled by Scheduled Castes, 4 of whom have since left the Directorate. No tribal candidate was appointed.

As and when fresh vacancies arise; the representation for Scheduled Castes and Scheduled tribes will continue to be given in accordance with the reservation orders.

विदेशी ऋण

7173. **श्री शारदा नन्द** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विकास कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 1968-69 के दौरान अमरीका, ब्रिटेन, कैनेडा, रूस, पूर्वी जर्मनी तथा आस्ट्रेलिया से सरकार को कितने ऋण मिलने की संभावना है;

(ख) इन ऋणों पर ब्याज की दर कितनी होगी तथा उसको लौटाने के बारे में न्यूनतम शर्तें क्या होंगी; और

(ग) ऋण किस रूप में प्राप्त होंगे ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा भारत सहायता संघ के सदस्य हैं और 1968-69 में इन देशों से प्राप्त होने वाली सम्भाव्य सहायता की रकम का पता, भारत सहायता संघ की अगली बैठक होने के बाद ही चलेगा ।

सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के साथ 10-12-66 को 250 करोड़ रुपये के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गये थे । 1968-69 में सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ से कोई और ऋण मिलने की आशा नहीं है ।

जहाँ तक पूर्वी जर्मनी का सम्बन्ध है, उस देश से 1968-69 में कोई ऋण मिलने की सम्भावना नहीं है ।

भारत को आस्ट्रेलिया से अब तक जो सहायता प्राप्त हुई है वह अनुदानों के रूप में प्राप्त हुई है । आस्ट्रेलिया से 1968-69 में ऋण प्राप्त होने के सम्बन्ध में इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग). ब्याज की दर और अन्य शर्तें द्विपक्षीय ऋण-करारों पर हस्ताक्षर होने के समय तक की जायंगी ।

International Monetary Fund

7174. SHRI D. N. PATODIA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India has approached the International Monetary Fund to raise quotas of the developing nations to enable them to benefit equitable from the creation of special drawing rights ;

(b) if so, whether the request has been considered by the International Monetry Fund and the decision taken in this matter ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

National Credit Council

7175. SHRI D. N. PATODIA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Credit Council held its meeting recently in New Delhi ;

(b) if so, the main recommendations thereof : and